[श्री मु० यूनुस सलीम]

हम विचार करेंगे कि कहां तक इसको काम में लाया जा सकता है। यकीनन जनता की कोम्रोप्रेशन के बगैर इतने बड़े काम को हम नहीं चला सकते हैं।

टेकनिकल खराबियों को दूर करने के बारे में जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। एक कमेटी बनाई है जहां तक मुसाफिरों का ताल्लुक है उनको एमेनेटिज देने के बारे में वह बतायेगी कि कहां-कहां हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम गाफिल नहीं हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, आपको बधाई हो, बिहार की कांग्रेस सरकार गिर गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अब दूसरों को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : राष्ट्रपति राज लागू न कर दिया जाये। ऐसा अगर किया गया तो बड़ी बेचैनी होगी। यह षडयंत्र चल रहा है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : जिस नेता के नेतृत्व में बिहार सरकार गिराई गई है उस नेता के नेतृत्व में वहां नई सरकार, प्रजातांत्रिक सरकार बननी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश हो रही है। इसको रोका जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : बिहार तो गया। अब आप क्या हमें बता सकते हैं यहां की जो पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है, इसका कहीं 21-22 तारीख को डिसाल्यूशन तो नहीं हो रहा है? ऐसी कुछ आप के पास खबर आई है जो आप हमें दे सकते हैं?

सभापति महोदय : बिहार की सरकार गिरी है, अब उसके स्थान पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, इसके बारे में अगर सरकार चाहे तो सदन को सूचना दे सकती है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : संसद् के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इसके सम्बन्ध में कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं है। आज संसद के सत्र का अन्तिम दिन है। सरकार चाहे तो इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दे सकती है।

अब हम अगली बहस को लेते हैं। श्री कंवर लाल गुप्त।

श्री कंवर लाल गुप्त : कमिशन की इस निराशाजनक रिपोर्ट पर वाजपेयी जी बोलेंगे हमारी तरफ से।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Why can't the Home minister give use information about the Bihar Ministry ? In the teleprinter it has already come. Your Government has gone there, Why can't you come out.

18.10 hrs.

DISCUSSION ON REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY RE. DEATH OF SHRI DEEN DAYAL UPADHYAYA

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में चन्द्रचूड़ आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, मैं उसके सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वभावतः मैं यह चर्चा बड़े भरे हुए अन्तःकरण से कर रहा हूं। श्री उपाध्याय केवल जनसंघ के प्रधान नहीं थे, हमारे सार्वजनिक जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण

स्थान था। जिन परिस्थितियों में उनका शव मुगलसराय के रेलवे यार्ड में एक ट्रैक्शन पोल के पास पड़ा हुआ पाया गया, उससे सारे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई।

यह शव 10 और 11 फरवरी, 1968 की रात को प्राप्त हुआ था। शव एक ट्रैक्शन पोल से लगा हुआ था। वह पीठ पर लेटे हुए थे। उनका सारा शरीर चादर से लिपटा हुआ था। उनके हाथ में एक पांच रुपये का नोट था। सबसे विचित्र बात यह थी कि जहां उनकी लाश मिली, वहां कोई खून नहीं प्राप्त हुआ और न ऐसा दिखाई दिया कि जहां लाश गिरी, वहां किसी प्रकार के ईंट और पत्थर बिखर गये हैं।

यह प्रश्न पैदा हुआ कि क्या श्री उपाध्याय किसी दुर्घटना के शिकार हुए या उनकी हत्या कर दी गई; और अगर उनकी हत्या की गई, तो उनके हत्यारे कौन थे और हत्या करने में उनका उद्देश्य क्या था। हमने सी० बी० आई० को इस मामले की जांच से सम्बद्ध करने की मांग की, क्योंकि हम समझते थे कि रेलवे स्टेशन और रेलवे कर्मचारी भी इससे सम्बन्धित हैं, और अगर सी० बी० आई० इसमें राज्य सरकार को सहायता देगी, तो जांच अच्छी तरह से हो सकेगी। बाद में हमें यह देखकर दुख हुआ कि इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से तस्वीर में से निकाल दी गई और सी० बी० आई० ने जांच अपने हाथ में ले ली।

लेकिन सी० बी० आई० भी इस परिणाम पर पहुंची कि उनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई। हत्या किसने की और किस उद्देश्य की, इसके बारे में सी० बी० आई० ने जो मत प्रकट किया, जिसे उन्होंने अदालत के सामने रखा, उसको अदालत ने स्वीकार नहीं किया। जिन दो अभियुक्तों को श्री उपाध्याय की हत्या के आरोप में कटघरे में खड़ा किया गया था, वाराणसी के स्पेशल सेशन्ज जज की अदालत ने उनको मुक्त कर दिया। स्पेशल सेशन्ज जज ने सी० बी० आई० की ओर से कही गई इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि हत्या की तैयारी के बाद चोरी की गई। एक अभियुक्त तो पूरी तरह से बरी कर दिया गया और दूसरे को चोरी का माल अपने पास रखने के आरोप में चार साल की सजा दी गई।

विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये। उन प्रश्नों पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन एक बात उन्होंने असंदिग्ध शब्दों में कही और मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "The offence of murder not having been proved against the accused, the problem of truth about the murder still remains."

न्यायाधीश का मत था कि इस हत्या के बारे में अभी सत्य का पता लगाना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कई प्रश्न ऐसे हैं, जिनका उत्तर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए निर्णय में यह बात कही गई कि वह अजनबी कौन था, जो श्री उपाध्याय के डिब्बे में देखा गया, जिसे उनके सहयात्री, श्री एम० पी० सिंह, ने भी देखा और जिसे रेलवे के कंडक्टर, श्री कमल ने भी देखा। सी० बी० आई० इस अजनबी का पता लगाने में सफल नहीं हुई। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी लिखा कि सी० बी० आई० इस बात का कोई स्पष्टीकरण दे सकी कि श्री उपाध्याय के हाथ में पांच रुपये का नोट कैसे आया। निर्णय में लिखा गया कि यह कहना तो एक अन्दाजा है कि यह तार देने के लिए मुगलसराय के स्टेशन पर उतरना चाहते थे और जज ने इस अन्दाजे को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने इस बात को नहीं माना कि अगर उनकी हत्या रेल-गाड़ी से धक्का देकर की गई और धक्का देने के बाद वह ट्रैक्शन पोल से टकराये, तो उनके शरीर पर जिस तरह की

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चोटों के निशान पाये गए, वे निशान खम्भे से टकराने के बाद एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में, नहीं लग सकते थे। सी० वी० ग्राई० के इस कथन को भी विद्वान न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया। जज ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि अगर उनकी हत्या चोरी के लिए की गई थी, तो चोरी करने वाले श्री उपाध्याय का बिस्तर समेटने के लिए दस मिनट तक क्यों रुके रहे। अगर हत्या का उद्देश्य चोरी था, तो वे हत्या करने के बाद बिस्तर लेकर नौ-दो-ग्यारह हो जाते। श्री एम० पी० सिंह के कथनानुसार बिस्तर डिब्बे में से उतारा गया, प्लैटफार्म पर रखा गया उसमें से एक फाइल गिरी, वह फाइल समेटी गई, बिस्तर आराम से बांधा गया और फिर सरलता के साथ उसे ले जाने का प्रयत्न किया गया।

ये तथ्य ऐसे हैं, जो बताते हैं कि हत्या के मूल में केवल चोरी का कारण नहीं था। स्पेशल सेशन्ज जज ने यह भी कहा कि श्री उपाध्याय के तकिये पर जो खून का निशान था, उसका सी० बी० आई० कोई समाधान-जनक उत्तर नहीं दे सकी। और इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को बरी कर दिया और एक को केवल चोरी का सामान रखने के आरोप में सजा दी।

जब यह निर्णय हमारे सामने आया, तो हमने यह मांग की— और सदन के सभी दलों के सदस्यों ने इस मांग के विषय में हमारा समर्थन किया—कि श्री उपाध्याय की मृत्यु पर पड़े हुए रहस्य का पर्दा उठाया जाना बाकी है, अभी सत्य का अन्वेषण शेष है, अभी तथ्यों का उद्घाटन होना बाकी है और इसलिए एक जांच आयोग नियुक्त होना चाहिए, जो तथ्यों का उद्घाटन करे।

18.19 hrs.

[Shri Vasudevan Nair *in the chair.*]

जब हमने जांच आयोग की मांग की थी, तो साथ में हमने यह भी कहा था कि जांच आयोग ऐसा होना चाहिए, जिसके पास जांच करने का अपना तंत्र हो। सरकार ने जांच आयोग तो नियुक्त कर दिया, मगर उसके पास अपना कोई तंत्र, अपनी कोई मशीनरी, नहीं थी। जिन्हें इनवेस्टीगेटिंग पावर्ज कहा जाता है, उनसे वह जांच आयोग सच्चे अर्थों में लैस नहीं था।

अब श्री चन्द्रचूड़ की यह रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। श्री चन्द्रचूड़ हाई कोर्ट के जज रहे हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट पढ़ कर हमें बड़ी निराशा हुई जो प्रश्न, जो शंकायें, जो सन्देह हमारे मन में थे, और कुछ मात्रा में जिनकी पुष्टि स्पेशल सेशन्ज जज के निर्णय से हुई, चन्द्रचूड़ आयोग उन शंकाओं और सन्देहों का निराकरण नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि आयोग यह मान कर चला था कि सी० बी० आई० ने हत्या के बारे में जो भी गाथा बनाई है वह सही है और उसे उस गाथा की पुष्टि करनी है। चन्द्रचूड़ आयोग ने संदेहों को दूर करने का जो प्रयत्न किया है उससे संदेह और भी गहरे होते हैं। उदाहरण के लिए जहां तक रेलवे के कम्पार्टमेंट में एक अजनबी के होने का सवाल है चन्द्रचूड़ आयोग कहता है कि इस मामले में न तो हम श्री एम० पी० सिंह की शहादत पर विश्वास कर सकते हैं और न कंडक्टर श्री कमल की शहादत पर विश्वास कर सकते हैं। कोई अजनवी वहां था या नहीं था? क्या दोनों गवाहों ने असत्य बयान किया? सी० बी० आई० इस तथ्य का पता क्यों नहीं लगा सकी? आयोग ने इस बात पर बल क्यों नहीं दिया कि उस अजनबी का पता लगाने की कोशिश की जाय? इस पर इस रिपोर्ट से कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

आयोग की रिपोर्ट अनेक भूलों से भरी हुई है, त्रुटियों से परिपूर्ण है। उसमें परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। सभापति जी,

उपाध्याय जी के हाथ में पांच रुपये का नोट कहां से आया ? अभी तक मुझे ऐसे चोर मिलने बाकी हैं जो चोरी करने के लिए आयें और जाते-जाते किसी के हाथ में पांच रुपये का नोट दक्षिणा के रूप में दे जायें। भले ही मुगलसराय वाराणसी के निकट हो और चोरों में दक्षिणा लेने और देने के पुराने संस्कार हों, लेकिन चोरी के बाद, हत्या के बाद कोई पांच रुपये का नोट हाथ में रखकर चला जायगा ऐसा चोर आज तक मिला नहीं। यह नोट कहां से आया ?

चन्द्रचूड़ आयोग कहता है कि उपाध्याय जी नोट ले कर दरवाजे पर खड़े थे। स्मरण रखिए, गाड़ी 2 बज कर 10 मिनट पर मुगल सराय पहुंची। जाड़े की रात थी। कमीशन ने माना है कि उपाध्याय जी को सर्दी बहुत अधिक लगती थी। क्या सर्दी के दिनों में जिस से वह बचना चाहते थे और जिससे बचने के लिए उन्होंने शरीर पर कई कपड़े पहने थे, उस सर्दी में रात के 2 बजे, 2 बज कर दस मिनट पर चलती हुई गाड़ी में दरवाजा खोल कर हाथ में 5 रुपये का नोट ले कर उपाध्याय जी खड़े रहेंगे ? कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है ? कोई कल्पना इस का उत्तर दे सकती है ? लेकिन कमीशन ने तय कर लिया था कि यह मान कर चलना है कि चोरों ने उन्हें धक्का दिया और जब धक्का दिया, यह मान कर चलना था तो फिर धक्का देने के लिये उन्हें दरवाजे पर लाना जरूरी था। अब कोई पूछे कमीशन से और मैं आप के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उपाध्याय जी रात के 2 बजे दस मिनट तक हाथ में पांच रुपये का नोट रख कर दरवाजे पर क्यों खड़े रहे ? कमीशन ने कहा है कि शायद वह पटना के लिए तार देना चाहते थे कि हम सबेरे पटना पहुँच रहे हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पटना जाने का उनका कार्यक्रम पटना के जनसंघ के कार्यकर्ताओं से टेलीफोन पर बातचीत कर के तय हुआ था। क्या तार लखनऊ से नहीं दिया जा सकता ? क्या 2 बज कर 10 मिनट पर मुगल सराय से पटना के लिए तार देना जरूरी था ? कमीशन कहता है कि यह बात प्योर स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी कमीशन इसी पर अपना निर्णय निर्धारित करता है कि वह तार देने के लिये दरवाजे पर खड़े थे और उन्हें धक्का दे दिया गया। अगर चोरों ने धक्का दिया तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना चाहिये कि चोर उनके हाथ की घड़ी क्यों छोड़ गए ? चोर उन की अटैची केस क्यों छोड़ गए ? चोर बिस्तर ले गए मगर सूटकेस छोड़ गए। चोर हाथ में पांच का नोट दे गये। यदि यह मान भी लिया जाय कि पांच रुपये का नोट अगर उनके हाथ में था तो क्या चोरों को उन की घड़ी दिखाई नहीं दी ? फिर क्या चोरों ने उनकी लाश को सीधा लिटाया ? कमीशन कहता है कि चोरों ने धक्का दिया। वह गिरे और ट्रैक्शन पोल से टकराये और टकराने के बाद उनकी लाश सीधी लेटी हुई मिली, क्या ऐसा हो सकता है ? फिर लाश के ऊपर शाल कहां से आया ? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है।

कमीशन ने कुछ हास्यास्पद बातें कही हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल जज की अदालत में यह मामला आया था और श्री एम० पी० सिंह ने अपनी गवाही में कहा था कि जब हम वाराणसी में उठे और हम एक बाथरूम में गए तो वह बाथरूम बन्द था। इससे यह संदेह किया गया था कि चूंकि उस डिब्बे में और कोई यात्री नहीं था, उपाध्याय जी और श्री एम० पी० सिंह के अलावा तो फिर बाथरूम बन्द था ? टायलेट को अन्दर से बन्द करने वाला कौन था ? इससे यह संदेह उपजता है कि शायद टायलेट में उपाध्याय जी की लाश रखी गई थी और उसे किसी ने भीतर से बन्द कर कर रखा था। श्री एम० पी० सिंह ने यह भी कहा कि इस समय उपाध्याय जी हमें दिखाई

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

नहीं दिये। अब कमीशन एक हास्यास्पद बात कहता है। मैं आप को वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"I am unable to see any cannection between the closed toilet near the A Cabin and the presence of the stranger in the corridor assuming that he was not Shri Upadhyaya. Toilets do have the disconcerting habit of getting jammed when needed most."

क्या यह किसी जज का कथन हो सकता है? दरवाजे जब खुलने चाहिये तब बन्द हो जाते हैं! हो सकता है जज महोदय के लिये कभी कोई दरवाजा बन्द हो गया हो मगर उस बन्द दरवाजे ने उपाध्याय जी के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया कोई भी जज इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। चन्द्र चूड़ आयोग कह सकता था कि दरवाजा बन्द क्यों था इसका हमारे पास कोई कोई कारण नहीं है और सी० बी० आई० इसका कोई जवाब नहीं दे सका। मगर सारे मामले को इस तरह से एक हलके ढंग से लेना यह किसी आयोग के लिए शोभा नहीं देता।

यही बात तकिये पर खून के धब्बे के बारे में है। यह बात मानी गई अदालत में कि तकिये पर खून के धब्बे थे। विशेषज्ञों की राय यह भी है कि जिस तरह का खून उपाध्याय जी का था उसी तरह का खून धब्बे पर था। यह धब्बा कैसे लगा? इस से मन में यह संदेह उपजता है कि उपाध्याय जी की हत्या डिब्बे के भीतर की गई और विद्वान न्यायाधीश ने भी लिखा था सिर पर जो चोट लगी है वह डिब्बे के भीतर हो सकती है जिससे उन का खून गिर सकता है। उपाध्याय जी की एक चद्दर नहीं मिली जो इस खून से तराबोर हो सकती है। लेकिन चन्द्रचूड़ आयोग लिखता है, और मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"It may sound *lighthearted* and a Judge must avoid that charge, but I would like to draw attention to a passage in Sir Sydney Smith's *Forensic Medicine, Tenth Edition*, page 207, that stains on garments due to bugs are caused by blood sucked from human beings and, therefore, such stains will give all the reactions for human blood."

यह पढ़ कर दुख होता है। यह बातें हास्यास्पद हैं। मामले की तह में जाने की कोशिश नहीं की गई।... .

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : समझ में नहीं आया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कमीशन यह कहता है कि शायद वह खटमल का खून होगा।

कमीशन ने इस बात को भी रद्द करने की कोशिश की है। कि उनकी हत्या के पीछे कोई षड्यन्त्र था। सभापति जी, आप स्वीकार करेंगे कि हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, न हमारे पास साधन हैं, न हमारे पास मशीनरी है कि हम यह सिद्ध कर सकें कि उपाध्याय जी किस षड्यंत्र के शिकार हुए लेकिन अगर विद्वान न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचे थे कि चोरों ने हत्या नहीं की तो फिर मन में संदेह उपजना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था और कमीशन ने जो कारण दिये हैं समझ में नहीं आता कि उनको पढ़ कर रोया जाये या हंसा जाय। कमीशन ने चार कारण दिये हैं। कमीशन कहता है कि षडयंत्र इसलिये नहीं हो सकता कि उपाध्याय जी ने सबेरे दस बजे तय किया था कि पटना जाना है और उनकी लाश पाई गई ढाई बजे या पौने तीन बजे—किस वक्त पर लाश मिली इसके बारे में भी संदेह है यह समय षड्यंत्र के लिए कम है।

क्या षडयंत्र करने वाला इस बीच में षडयंत्र नहीं कर सकते? फिर कहते हैं कि

षडयंत्र इस लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जो बोगी है, वह पहले तो अखिर में लगा करती थी, लेकिन उस दिन आखीर से तीसरे नम्बर पर लगी थी क्या इससे स्थिति बदल सकती है। प्रतिदिन बोगी अन्धेरे में खड़ी रहती थी, सियाल्दह एक्सप्रेस से काट कर हर रोज तूफान एक्सप्रेस में लगती थी, षडयंत्र करने वाला यह जानता था। वह बोगी आखीर में है या तीसरे नम्बर पर है यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। फिर यह भी कहा गया है कि षडयन्त्र इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि मुगल सराय भारतीय जनसंघ का गढ़ है मगर मुगलसराय चोरों और हत्यारों का गढ़ है और आज कल तो नन्दा जी के साधुओं का भी गढ़ बन रहा है। मुगलसराय में चोरियां होती हैं, यात्रियों की हत्यायें की जाती हैं। इस तथ्य से कोई इन्तजार नहीं कर सकता। हमारा कहना है कि षडयन्त्र के लिए मुगलसराय से अच्छा और कोई स्टेशन नहीं हो सकता और जनसंघ चूंकि वहां शक्तिशाली है, इस लिए इस की हत्या के षडयन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है—गलत बात है।

एक बात और कही गई है कि किसी ने लाश को अगर लिटाया तो बड़ा खतरा मोल लिया, हत्या करने वाला ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा। हम पूछना चाहते हैं कि अगर कमीशन कहता है कि हत्या चोरों ने की, धक्का दे कर हत्या की तो क्या वह चोर हत्या करने के बाद उपाध्याय जी का बिस्तरा इकट्ठा करने के लिए 10 मिनट तक रुका रहा? अगर मामूली चोर साधारण चोर, जेल की निरन्तर यात्रा करने वाला चोर यह खतरा मोल ले सकता है कि 10 मिनट तक उनका बिस्तर इकट्ठा करने के लिए प्रतीक्षा करे तो षडयन्त्र करने वाला भी यह खतरा मोल ले सकता है जिससे कि कोई उस पर उंगली न उठा सके और यह दिखाई दे कि उपाध्याय जी दुर्घटना के शिकार हो गये, उन की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक षडयन्त्र नहीं था, राजनीतिक उद्देश्य नहीं था।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरी इच्छा है कि सदन के और भी माननीय सदस्य इस मामले पर अपने विचार प्रकट करें। हमारा कहना है कि चन्द्रचूड़ आयोग की रिपोर्ट से हम सन्तुष्ट नहीं हैं, यह जन मन की आशंकाओं का निराकरण नहीं करती। उपाध्याय जी के हत्या के बाद मुझे वाराणसी जाने का मौका मिला और मेरे मित्र श्री बलराज मधोक मुगलसराय यार्ड में भी गए थे। डा० पाटनकर, जिन्होंने शव परीक्षा की थी, ने हमारी उपस्थिति में कहा था कि सिर पर जो घाव लगा है, वह किसी भारी वस्तु के आघात से लगा है। वह आघात ट्रेक्शन पोल का आघात नहीं है। ट्रेक्शन पोल से यदि शरीर टकराता तो जिस तरह की चोट लगी थी, उस तरह की चोट नहीं लग सकती थी मगर कमीशन ने डा० पाटनकर ने जो चोटों का डायाग्राम बनाया था, उस पर विचार नहीं किया। अगर ट्रेक्शन पोल से टकरा कर मृत्यु होती तो फिर कन्धे पर खून कैसे आया वह खून बांह तक पहुँचा, फिर जहां लाश गिरी वहां खून क्यों नहीं था ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। और उपाध्याय जी का खून इन सवालों का जवाब मांगता है। हम उपाध्याय जी के अनुयायी इन सवालों के जवाब मांगते हैं खून उत्तर मांगता है खून को दबाया नहीं जा सकता।

सभापति जी, गांधी जी की हत्या के 20 साल बाद और गांधी जी के हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटकाने के बाद या सजा देने के बाद भी अगर सत्य के उद्घाटन के लिए नया कमीशन बन सकता है, अगर नेता जी के अचानक रहस्यमय ढंग से गुप्त हो जाने के मामले पर शाहनवाज कमीशन के बाद फिर से जांच की जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि उपाध्याय जी की हत्या पर पड़े हुए रहस्य के पर्दे को उठाने के लिए एक नया कमीशन बनाया जाए। यह कमीशन तीन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सदस्यों का होना चाहिए। एक सदस्य का कमीशन न्याय नहीं कर सकता। इस कमीशन के साथ जांच करने का तंत्र होना चाहिये, ताकि वह नये सिरे से जांच कर सके। मुझे खेद है कि सी० बी० आई० जो हमारे देश की जांच करने वाली एक प्रमुख संस्था है, उसके आचरण ने हमारे मन में उसके प्रति संदेह पैदा कर दिया है। शायद उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देंगे, सामान्य हत्या बता कर समाप्त कर देंगे और अन्त तक वे इसे प्रेस्टिज प्वाइन्ट बना कर अड़े रहे। उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने देश के साथ न्याय नहीं किया और आज हम सदन में इस मांग को रखने के लिये बाध्य हुए हैं कि इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस मांग पर हमें सदन का समर्थन प्राप्त होगा।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर): चेयरमैन महोदय, यह एक ऐसी रहस्यमय हत्या है, जिस की खोज अवश्य की जानी चाहिये और जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने बताया कि भारत में राजनीतिक हत्याओं की जितनी भी बारीकी से खोज की जाय, उतना ही देश के लिये और सारे राजनीतिक दलों के लिए लाभप्रद होगा। आप जानते हैं कि जिस इलाके से वह गाड़ी गई, वह इलाका एक ऐसा इलाका है जहां ऐसी घटनायें संगठित होती रहती हैं। अन्य इलाके भी इस प्रकार के हैं जहां राजनीतिक घटनायें संगठित होती हैं और जो भी तर्क अभी प्रस्तुत किये गये, उन तर्कों में भी प्रमाणिकता है। वाराणसी के सेशन्ज जज ने कहा था—इस हत्या के अभियुक्तों के बारे में भले ही पर्याप्त सजा नहीं हुई और एक अभियुक्त छोड़ दिया गया, लेकिन जो हत्या की गई है उसकी सच्चाई से उस जज को भी पूरा परिचय नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अपने फैसले में इस बात की सिफारिश की कि हत्या की बारीकी से खोज की जानी चाहिये कि इसकी सच्चाई कहां है। जब सेशन जज ने ही इस बात को अपने निर्णय में उल्लिखित किया तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसमें गहराई से जाना चाहिये था और जो चन्द्रचूड़ कमीशन ने जांच की और जो जांच-रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की गई, उस में भी इन सारी बातों को इस ढंग से रखा गया कि उनमें पूरा विश्वास पैदा नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि जितनी भी बातें कमीशन की होती हैं, उन सारी बातों में सबका विश्वास अनायास हो ही जाय, लेकिन जो रवैया भारत सरकार का है—आज ही आपने देखा कि यहां पर एक कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन सरकार ने उस पर अपना कोई मत नहीं बनाया, और छोड़ दिया कि वह ज्यों-का-त्यों लोगों की भावनाओं से टक्कर लेता रहा। इसी प्रकार से, जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने बताया, महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में था, उसकी गहराई में जाने के लिये कि उसके पीछे क्या सच्चाई थी, उस चीज की बारीकी से छानबीन की जाय। अभी एक कपूर आयोग बना था, जिसने हाल ही में रिपोर्ट दी है। इस प्रकार का आयोग बनाना इस देश के लिये सार्थक होगा और देश के अस्तित्व के लिये भी पौष्टिक सिद्ध होगा कि जहां कहीं भी ऐसी हत्या हो, उस हत्या की अच्छी तरह से छानबीन कराई जाय और किसी पर बगैर आक्षेप किये हुए कि सी० बी० आई० ने क्या रिपोर्ट दी, चन्द्रचूड़ कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, जो वहां घटना संगठित हुई—वाराणसी और मुगलसराय के बीच में—उपाध्याय जी जा रहे थे, स्वमेव कोई नहीं टकराता और यह भी नहीं है कि आधी रात को दो बजे के करीब—जाड़ों की रात में कोई सामान खरीदने की कोशिश करे या तार देने की उनको जरूरत पड़ी, जिसके लिये उनकी मुट्ठी में पांच रुपये का नोट पकड़ाया गया था—इन सभी बातों से

जाहिर होता है कि वह एक ऐसा षडयन्त्र था, जिस षडयन्त्र का पूरा पर्दा फाश किया जाना चाहिए। यह हमारी कमजोरी है कि इतने दिनों के बाद भी उस पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ पाया। जिन पांच बातों का कमीशन ने उल्लेख किया है, जज ने भी जिनका हवाला दिया है, उन पांच बातों का उत्तर अभी तक नहीं आ पाया, इस कमीशन की जांच रिपोर्ट के बावजूद भी, और साधारण व्यक्ति के दिमाग में यह बात बिलकुल अनायास आ जाती है कि यह हत्या थी, जिसके पीछे कोई न कोई षडयन्त्र अवश्य था।

इसलिये मैं वाजिब समझता हूं—अगर भारत सरकार देश में एक नया विश्वास पैदा करना मुनासिब समझे कि जो भी ऐसे षडयन्त्र-कारी हों: जहां कहीं भी हों, बिलकुल दलगत भावनाओं में पड़े बिना कि आज देश में अनेक तरह के तत्व हैं इसलिये उन सारे तत्वों की भलाई के निमित्त यह आवश्यक है कि इस हत्या की सच्चाई कहां है, कैसे उसको पाया जा सकता है, उसके लिए एक आयोग बनाया जाये जोकि तीन व्यक्तियों का हो। क्योंकि अगर यह भी मान लें तो भी सरकार के सामने कोई सीधा मार्ग नहीं होगा क्योंकि इनका यह तो तर्क है नहीं कि कोई रिपोर्ट आवे तो उसको मानें, जहां कहीं की भी रिपोर्ट हो, चाहे महात्मा जी के बारे में, चाहे नेता सुभाषचन्द्र के बारे में या और रिपोर्ट जो आई आयोगों की, आज की भी वही बात है, इसलिए उनको एक बात की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये बगैर सीधे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये कि यहां के एक राजनीतिक दल के नेता की हत्या हुई और हत्या हुई भारत सरकार के अहाते में, उनकी गाड़ी में इसलिए जितनी भी आवश्यकता होगी उस सच्चाई को खोजने की उसके लिये एक उमदा से उमदा आयोग बनायें। मैं इस आयोग की मांग को फिर से दोहराता हूं।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, Sir, I take this opportunity to salute the greate martyr the late lamented Pandit Deen Dayal Upadhyaya. I had the privilege to know him since the last 20 years in the company of Shri Shyama Prasad Mukherjee. I know him to be a patriot to the core of his heart, a great son of Mother India. He was humility personified. I do not think he was capable of creating any enmity with any person.

Sir, it is a matter of great concern to this House and to this country, since independence, that the Stalin era has dawned in this country. We get startling reports from no less a person than Mr. Khruschev how political oppenents used to suddenly disappear in the Soviet Union during the Stalin Era. Mr. Khruschev has mentioned that 'It is a miracle to me how Mr. Kosygin could not become a victim of the Stalin conspiracy.'

Since independence we have seen how attempts have been made to liquidate political opponents. As early as 1949, when we raised the first standard of revolt this totalitarian Government, by organising the Gana Tantra Parishad, the first target was the Maharaja of Boudh. An attempt was made on his life. A person shot at him with a bullet. He had a miraculous escape because the bullet struck on a diary which he carried in his pocket. He got a lacarated in ury in his arm. This is a sad story. That person who fired the bullet was a sentry supplied by the Government itself.

In the last Lok Sabha we were seized of the most brutal and the Most heinous murder of Shri Pravin Chandra Bhanj deo, the late Maharaja of Bastar, who wielded a great deal of influence in his area.

We know, the death of Shri Shyama Prasad Mukherjee has still remained a mystery. This morning we have submitted a statement regarding the death of the late-lamented Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. It still remains a mystery to this House. We could not get an opportunity to extract more clarification from the Government.

Taking all these things into consideration, we are not satisfied and this country is not satisfied with the finding of the Chandrachud commission. I charge the Government with dereliction of duty in unfolding the truth. Government have

[Shri P. K. Deo]

signally failed to book the culprits. The Chandrachud commission's report is a political finding. It is full of 'ifs' and 'buts'. The conclusion that he has drawn has been drawn from wrong premises. The conclusions are based on surmises, and, therefore, they are not worth the paper on which they have been printed.

Going into the merits, I would like to point out that even Shri Murlidhar had stated :

> "The problem of truth about the murder still remains."

That means that the mysterious circumstances in which the murder took place have not been brought to light. Shri Murlidhar was asked to pass judgement on the so-called accused who were produced before him, and because his scope was limited, the police failed to charge-sheet persons who were the actual murderers. Some fake persons were placed on the dock and naturally they were acquitted.

Regarding the presence of a stranger in the compartment, the five-rupee note and the pillow-case and the injury at the backside of the head, it still remains a mystery and it will all remain a mystery unless the truth is found out.

Therefore, I fullly support the demand of my hon. friend Shri Atal Bihari Vajpapee that there should be a second commission consisting of three persons, presided over by a judge of the Supreme Court, for, then only, we can get the truth. There has been a second probe into Netaji's disappearance, regarding Mahatma Gandhi's death etc. Similarly, when there is a unanimous demand in this case also, I request Government to accede to have a second probe into this matter by a fully constituted commission of at least three persons presided over by a Supreme Court judge.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, पं० दीन दयाल उपाध्याय की हत्या एक अत्यन्त घोर दुखद विषय है और सारे देश ने इसको इसी रूप में लिया है। उनके हत्यारों की जितनी भी निन्दा की जाये, जैसे कि सर्वत्र उसकी निन्दा हुई है, वह कम है। यह बात 1968 की है। लेकिन माननीय वाजपेयी जी के भाषण से मुझे एक बात का सन्देह हुआ। क्या जब तक कोई भी आयोग उनके पहले से सोचे हुए परिणाम पर नहीं पहुंचता है तब तक नया जांच आयोग कायम करने की यह मांग बराबर उठती जायेगी? सी० बी० आई० हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जांच पड़ताल करने वाली। उसने इस मामले के जांच की। सबसे बड़ी मांग जनता में या हम सब में उसी के द्वारा जांच कराने की होती रही है। उसी के आधार पर एक केस चला और उन्होंने उसकी जांच की। लेकिन उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो चन्द्रचूड़ कमीशन की स्थापना की गई। उसने भी अपना निर्णय प्रकाशित किया और वह हम सबको मिल चुका है। मैं सोचता हूं क्या ऐसी बात तो नहीं है कि वाजपेयी जी या उनके साथियों को, जब तक इस बात का फैसला न हो जाये कि उनकी हत्या किसी कम्युनिस्ट ने की या उनकी हत्या किसी मुसलमान ने की, तब तक सन्तोष नहीं होगा? मैं उनकी खातिर उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। मैं उनकी खातिर और उनके साथियों के लिये इस मांग का विरोध नहीं करता ताकि प्रजातन्त्र में हत्या की परम्परा न चले। उसके लिए उनकी मांग का विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि वह आयोग स्थापित किया जाये और ऐसा आयोग स्थापित किया जाये जिसमें कि उनको भी विश्वास हो क्योंकि उसका निर्णय जरूर ही सत्य के निकट होगा। लेकिन मुझे सन्देह होता है कहीं किसी राजनीतिक उद्देश्य से तो इस मामले को नहीं बार-बार बढ़ाया जा रहा है? शास्त्री जी और सुभाषचन्द्र बोस की हत्या की भी यहां पर चर्चा कर दी गई।

ये सब चीजें किसी पौलिटिकल मोटिव से तो नहीं कही जा रही हैं? मेरा ख्याल है, हमारे मान्यवर जनसंघ के साथी मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिए कि उपाध्याय जी जिस उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे, जनसंघ के

नेता होते हुए भी। इतने ज्यादा सादा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इतने ऊंचे चरित्रवान थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई इस प्रकार का काम करें, यह बात मेरी परिकल्पना से बाहर है।

उस समय जब उनकी हत्या हुई मैं अपने संसद् के उप चुनाव में व्यस्त था। मैं बहुत दूर-दूर गांवों में घूम रहा था। वहां मुझे एक किसान ने इस बात की जानकारी दी कि उन की हत्या कर दी गई है। मैं इसको सुनकर स्तब्ध रह गया। बाद में पूरा विवरण अखबारों में पढ़ा। मुझे बताया गया कि किस तरह आजमगढ़ शहर में एलान हो रहा था कि हड़ताल और पब्लिक मीटिंग होगी। तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि जरूर कहीं चोरों ने किसी बड़े लालच में, उनको न पहचान कर धकेल दिया है। हम सब जानते हैं कि नेता लोग लाखों की थैली लेकर नहीं चलते हैं। दस बीस रुपये खर्च करने के लिये और टिकट लेकर ही वे चलते हैं। इसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर यह भी बात हो सकती थी कि बाहर कुछ देख रहे हों कि कौन स्टेशन आ रहा है या कोई दूसरी बात हो या कुछ खरीदने के खयाल से बाहर गये हों और बाहर देखते समय पोल से टकरा गये हों और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई हो। इस तरह की बात भी मेरे दिमाग में आई।

जब मैं यहां चुनकर आया तो एक प्रमुख पत्रकार से सेन्ट्रल हाल में मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात थी या अकस्मात यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि इसमें गलतफहमी हुई है, गलत पहचानने की वजह से यह घटना घटी है। एक खबर उन्होने सुनी थी। जिस डिब्बे में उपाध्याय जी सफर कर रहे थे उसमें कानपुर के प्रमुख उद्योगपति राम रतन गुप्ता के मैनेजर या एजेंट सफर करने वाला था। एन वक्त पर वह नहीं आया। वह कूपे में थे। उपाध्याय जी ने अपना डिब्बा बदल लिया और वह उस डिब्बे में आ गये। उन्होंने अपना ट्रांस्फर इस डिब्बे में ऐन गाड़ी खुलने के समय किया। चोरों ने हो सकता है कि इस गलतफहमी में कि राम रत्तन गुप्ता का एजेंट चल रहा है और उसके पास रुपया है, उनकी हत्या कर दी हो। हर नेता को हर चोर, डाकू, बदमाश, गिरहकट पहचानता ही हो यह जरूरी नहीं है। दीन दयाल उपाध्याय जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उदार विचारों के व्यक्ति थे, चरित्रवान व्यक्ति थे। इस वास्ते इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है कि कोई इस हत्या के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था या यह राजनीतिक हत्या थी।

डा० राम सुभग सिंह ने उस इलाके की बात की है। इलाके से इसका कोई सम्बन्ध नही है। हत्यारे कहीं से कही जा सकते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए मुगलसराय या बनारस या कोई दूसरा इलाका खास हत्यारों का गढ़ रहा है या आतंककारियों का गढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं प्रजातन्त्र में अगर राजनीतिक हत्याओं की साजिश चल गई तो यह अत्यन्त दुखदायी बात होगी और यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। तब इसका अन्त नहीं हो सकेगा। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे देश के एक कोने बंगाल में यह किया गया है, जो हम सब के लिये दुखदायी है और उसकी प्रशंसा या समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है।

जनसंघ ने भी एक कमिशन बनाया था। उसकी फाइंडिंग्ज क्या हैं? मैं नहीं समझता हूं कि अब कमिशन स्थापित करने से कोई नया परिणाम निकलेगा। लेकिन वाजपेयी जी के तथा उनकी पार्टी के सन्तोष के लिए और इसके लिये भी किसी प्रकार का भ्रम जनता में पैदा न किया जा सके, मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जरूर एक निष्पक्ष आयोग स्थापित किया जाये जो इसकी जांच पड़ताल करे। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से शास्त्री जी

[श्री झारखंडे राय]

की हत्या, दीर दयाल उपाध्याय जी की हत्या, नेता जी का गायब हो जाना आदि सब का इस्तेमाल करने की कोशिश हर्गिज नहीं होनी चाहिये।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): The news of the late Upadhyayji's death distressed all of us. We were all very sorry to hear it. But what alarmed and shook us was that immedately there after we heard the blame being put indiscriminately on Muslims and Communists by people who share the views of those who are now putting the blame. Frantic efforts were made to capitalise on this unfortunate incident. This also distressed us. Another set of people went to the extent of saying that this was the outcome of factional fight in the Jan Sangh. I have no comment to make on that.

This morning we saw the issue of the death of the late Lal Bahadur Shastriji being raised in this forum after a lapse of five years. I had not known that the House had a galaxy of forensic experts and criminologists—at least I am not one of them. The Judge who inquired into this is neither a Communist nor a spokesman of the Muslim community. So I can confidently say that he had tried to find out the facts with objectivity. In the past many such aspersions have been cast on various grounds. I may recollect Mr. Nanda's accusation against my party which brought at least, 3,000 families to complete ruination, but the people appreciated the truth.

We have seen in this case that habitual criminals were involved and I do hope that the friends on my right will not dispute that. Once a Judge's findings are rejected, I do not know what the reaction of the person who succeeds him will be. I only want to ask one question, why at the time of this Commission's appointment the Jan Sangh leaders did not speak out about its composition and size why today. I humbly suggest my hon. friends in the Jana Sangh will be showing true respect to their departed leader if the matter is left where it is now.

MR. CHAIRMAN: It is nearing 7 o'Clock and on the agenda there is another item, discussion on sugar policy, which was not completed last time, but then the present discussion also cannot remain without some reply from the Government. So, I think we have to conclude this discussion and then take up the other matter if time permits. I have got two more speakers before I call upon the Minister. They will be very brief.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर): मैं वाराणसी के स्पेशल सेशन जज श्री मुरलीधर के केवल दो वाक्य पंत जी की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूँ। एक वाक्य है:

> अभियुक्तों के ऊपर हत्या का दोष सिद्ध न हो सकने के कारण हत्या के सम्बन्ध में सचाई का पता लगाना अभी भी बाकी है और इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं।

इसी पैरा में दूसरा वाक्य है:

> हत्या के तरीके और सूत्रपात के संबंध में कोई घनात्मक विपर्यय प्रस्तुत नहीं किया गया। इन सब सीमाओं के रहते हुए कोर्ट सत्य के बारे में अपना मत व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): अभी कुछ देर पहले इस सदन के माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त ने एलान किया था कि बिहार की सरकार गिर गई है। यह बात गलत है। अभी वहां काउंटिंग चल रही है। उन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। यह प्रिवलेज का सवाल बनता है। मैं समझता हूं कि हाउस को मिसलीड करने वाला स्टेटमेंट रिकार्ड पर नहीं रहना चाहिये। उनका भी नहीं और मेरा भी नहीं रहना चाहिये। जब तक पूरा पता नहीं चल जाता तब तक इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिये। अभी काउंटिंग चल रही है। इतनी गम्भीर और महत्वपूर्ण बहस चल रही

थी, उस बीच इस तरह का सवाल उठाना क्या सही था और क्या उन्होंने हाउस को मिसलीड नहीं किया है और इससे क्या हाउस की मर्यादा भंग नहीं हुई है ।

MR. CHAIRMAN : I do not think there is any point of order. I do not think the Chair is called upon to give any ruling on the matter, but I would request every hon. Member not to rush to the House with any kind of information that he gets or gathers in the lobbies or in the Central Hall which may be a half truth like this and announce it in the House. I think I have said enough to prevent at least such occurrences in the future.

19 hrs.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, श्री चन्द्रचूड़ भी कहीं न कहीं जज रहे होंगे और श्री मुरलीधर भी जज हैं । यहां पर दो जजों की राय लड़ गई है । इसलिए ज्यादा शक होता है । जितनी मृत्युयें होती हैं, वे सबकी सब कत्ल नहीं होती हैं । कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं, जो खुले-ग्राम हो जाते हैं । हिन्दुस्तान में सबसे पहला राजनैतिक कत्ल गांधी जी का हुआ था, जबकि कातिल पकड़ लिया गया था । उनके कत्ल से बहुत पहले हमारी पार्टी के लीडर, डा० लोहिया, ने कहा था कि गांधी जी के जीवन को खतरा है । तब श्री पन्त की सरकार ने कहा था कि हम गांधीजी के चारो तरफ सफेद-पोश पुलिस घुमा रहे हैं । उसके बाद डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की राजनैतिक हत्या हुई । वह पहले सरकार के मन्त्री थे और बाद में वह विरोधी दल के एक मजबूत नेता बने । शक है कि उनकी हत्या हुई । श्री उपाध्याय के बारे में भी वही शक है । शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में भी वही शक है और डा० लोहिया की मृत्यु के बारे में भी वही शक है । (**व्यवधान**) कुछ लोग हंस रहे हैं । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग इन राजनेताओं की मौत पर होने वाले शक पर हंस रहे हैं, उन लोगों की प्रधान जो इस समय है—कत्ल की विरासत वाली सरकार की प्रधान, जब वह लुसाका की तरफ जाती है, तो उसको शक हो जाता है कि उसके हवाई जहाज में बम पड़ा हुआ है । ऐसा नहीं कि राजनैतिक हत्याओं पर हंसने वालों के मन में कहीं न कहीं डर नहीं हुआ करता है ।

मुझे याद है कि जब श्री उपाध्याय की मृत्यु हुई—मैं उस समय इस सदन का सदस्य नही था—तो मेरी पार्टी के नेता, श्री मधु लिमये, इलाहाबाद से गोरखपुर जाने वाले थे और मेरी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम भी रेल में उनके साथ-साथ हो लो । उन दिनों सभी पार्टियों के नेताओं का मन कांप रहा था । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सवाल को मजाक में टालने की कोशिश न की जाये । श्री परिमल घोष बैठे हैं । पहले तो सरकार अपनी पुलिस को बन्दूक देकर जनता की हत्या करवाती थी । बीस साल तक ऊब जाने के बाद अब जनता के लोग सरकार के मंत्रियों के बीवी-बच्चों की तरफ हाथ उठाने लगे हैं । सभी राजनेताओं के मन में—खासकर मंत्रियों के मन में—यह डर भर गया है कि कहीं हमारे बीवी-बच्चों पर हाथ न उठ जाये । कातिल का हाथ कभी नियंत्रित नहीं रहा करता है ।

मैं श्री पन्त से और उनके प्रधान मन्त्री से, कहूंगा कि हिन्दुस्तान के पिछले बीस बाईस सालों के इतिहास में जो राजनैतिक हत्यायें हुई हैं, या जनता की आवाज उठाने वालों को जिस तरह कत्ल किया गया है, अगर उसके बारे में जनता के सामने सफाई देने के लिए कोई बड़ा आयोग नहीं बिठाया गया कि ये कत्ल बिल्कुल मासूम हुए हैं, ये बिल्कुल जुर्मी लोगों ने किये हैं, और अगर इसमें कही सरकार का हाथ है, उसने साजिश की है, तो सरकार जनता से क्षमा मांगती है, तो जो लोग कत्ल होते रहे हैं, उन लोगों के गिरोह से कोई न कोई निकलेगा और हाथ उठायेगा । मैं उस दिन को पसन्द नहीं करता हूं । वह बड़ा ही खराब दिन होगा । मैं चाहता हूं कि अगर जम्हूरियत को

[श्री जनेश्वर मिश्र]

चलाना है, तो उसको विवेक, बहस और तर्क के साथ चलाया जाये। लेकिन जब बहुमत के बल पर, या इस ताकत के बल पर कि हमारे हाथ में ताकत है, कुछ लोग हमारी मदद करेंगे, हम लोग बहुमत में रहेंगे और जो चाहेंगे, वह फैसला कर देंगे, तब तर्क और विवेक मर जाया करते हैं। आज मैसूर के सवाल पर हमारे कुछ सदस्यों ने यहां पर जो धरना दिया, वह एक तरह से विवेक की मौत थी।

श्री दीन दयाल उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्री, डा० लोहिया या श्री भंजदेव आदि दूसरे लोगों की जो राजनैतिक मौत हुई है, अगर सरकार उसके बारे में जनता के सामने खुलकर यह कहने के लिए नहीं आती है कि इन हत्याओं के पीछे कौन कौन सबब थे और अगर सरकार उनके लिए दोषी है, तो वह जनता से क्षमा मांगती है, तो वह इस देश में एक बहुत अवांछनीय और दूषित वातावरण के पनपने में सहायक होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेल सरकार की है, श्री गुलजारी लाल नंदा की है। अगर रेलवे से सरकार को आमदनी हो जाये, तो श्री नन्दा कहेंगे कि हमारी रेल अच्छी हो गई है। लेकिन अगर उस रेलवे में जनसंघ के नेता की हत्या हो जाये, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम श्री पन्त के घर जायें और वह हमको दावत खिला दें, तो वह दस जगह कहेंगे कि मैंने सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता को दावत खिलाई, हम भी उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन अगर उनके घर में हमारी हत्या हो जाये, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसी तरह से रेलवे भी उन्हीं की है।

मैं यहां पर रेलवे की बद-इन्तजामी के बारे में बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज रेल की यात्रा में किसी भी आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। यह भी सत्य है कि जब प्रधान मन्त्री यहां से गाजियाबाद जायेंगी, तो हर सौ गज़ की दूरी पर पुलिस का एक सिपाही रेल की पटरी देखेगा, जबकि लाखों की तादाद में जनता जब रेल में जाती है, तो कोई देखने वाला नहीं होता है। जहां पर आदमी की जिन्दगी की कीमत दो तरह से आंकी जा रही हो, वहां इस तरह की हत्यायें होंगी और उनका दोष सरकार पर मढा जायेगा।

सरकार को चाहिए कि वह इस हत्या के लिए जनता से क्षमा मांगे और इसकी जांच के लिए कोई बड़ा आयोग गठित करे। अगर उसके मन में शक है कि वह दोषी नहीं है, तो वह उस आयोग के सामने अपना सुबूत पेश करे, नहीं तो जज मुरलीधर का बयान और फैसला हमेशा हमेशा जनता के मन को उद्वलित करता रहेगा कि सरकार ने, सरकार से मिले-जुले लोगों ने, सरकार की रेल ने एक पार्टी के बहुत बड़े नेता की हत्या कर दी, जो बहुत ही खराब काम कहलायेगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): चेयरमैन महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय हिन्दुस्तान के बेहतरीन इंसानों में से एक थे और उनकी मौत से हर हिन्दुस्तानी को बेहद दुःख हुआ है। इसमें जनसंघ और आर० एस० एस० का सवाल नही है। हिन्दुस्तान के चोटी के नेताओं में से एक की मौत बाके हो जाये और वह इस तरह की दर्दनाक मौत हो, तो किस हिन्दुस्तानी को उस पर अफसोस नहीं होगा। कुछ को ज्यादा दुख होगा और कुछ को कम लेकिन इसमें में कोई शक नहीं है कि किसी लीडर या किसी पार्टी पर यह शक करना ठीक नहीं है कि वे अपने किसी जाती मकसद के लिए किसी बात को छिपाना चाहते हैं, या सही इनवेस्टीगेशन नहीं होने देना चाहते हैं।

आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऐसे घिनावने मर्डर्ज से खाली नहीं है। अब्राहम लिंकन के

मर्डर को सौ साल से ज्यादा हो गया है। बताते हैं कि अभी भी उसकी एनक्वायरी चल रही है। लेकिन अभी तक कोई कानक्लूसिव एविडेंस सामने नहीं आया है कि वह मर्डर कैसे हुआ और क्योंकर हुआ। पाकिस्तान में लयाकत अली खां का मर्डर हुआ। वहां पर सारी दुनिया के चुने हुए डिटेक्टिव, स्काटलैंड यार्ड के बेहतरीन अफसर लाये गये, लेकिन अभी तक उसके राज का पता नहीं चला है। कैनेडी का मार्डर रिसेन्ट्ली हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि किसका उसमें हाथ था। वारेन की काफी बड़ी रिपोर्ट आई, लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं हुई है। असल में ला फाल्टी है। इसमें इन्सान की कोई गलती नहीं है। आप जानते हैं कि कानविक्शन कैन्नाट बि बेस्ड आन ससपिशन एलोन। यह ला का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तक कोई कानक्लूसिव प्रूफ न हो, जब तक डायरेक्ट और प्राइमरी एविडेंस न हों, जब तक ऐन मौके के गवाह न हों, तब तक सिर्फ सर्कमस्टेंशल एविडेंस पर, या हियरसे एविडेंस पर, या फारेन्सिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर, या ट्रंक के विटनैस के एविडेंस पर ला किसी का कानविक्शन नहीं करता है। इस केस में मौके का कोई गवाह सामने नहीं आया। मैं इसमें गवर्नमेंट की कोई कोताही नहीं समझता। खुद श्री वाजपेयी ने इस बात को माना है कि हमारे पास जो बेस्ट इवेलेबल इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी है, उसकी तरफ से कोई कसर नहीं रखी गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : यह कहां माना है? यह नहीं माना है।

श्री रणधीर सिंह : इस केस में सेंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन और दूसरे हाइएस्ट लेवल के अच्छे से अच्छे इनवेस्टीगेटिंग आफिसर्ज की मदद ली गई। इस बारे में कोई कसर उठा नहीं रखी गई। हमें इसका अफसोस है। हम सिवाये हमदर्दी के इजहार के और क्या कर सकते हैं?

हम चाहते तो यह थे कि इस का भी ट्रेस मिलता, केस अदालत के सामने जाता, मुलजिम को सजा होती ताकि न सिर्फ पार्टी को और उनके संबंधियों को बल्कि सारे देश को इससे तसल्ली होती। लेकिन इस मौके पर सिवाय हमदर्दी के और हो भी क्या सकता है? जहां तकलीफ है हमारे जनसघं के और आर०एस०एस० के भाइयों को उस में सिवाय हमदर्दी के और इस का इलाज भी क्या है? बाकी अगर यह समझा जाय कि इस में कोई कसर है तो मैं उन आदमियों में से हूं कि जो यह कहूंगा कि तीसरी या चौथी दफा एन्क्वायरी से भी अगर कुछ हो सकता है तो किया जाय। लेकिन क्या कोई चीज निकलती हैं, देखने की बात यह है कि किस ऐंगिल से इसको नहीं किया गया। मैं तो समझता हूं कि जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया। तो इसमें सिवाय इस बात के कि हमें हमदर्दी है और उनकी इन्जर्ड फीलिंग्स हैं, देश को इस से नुकसान हुआ, इन्सानियत को नुकसान हुआ, हमें उसके साथ पूरी हमदर्दी है, इसके सिवाय और कोई बात क्या हो सकती है? अगर इसका कोई और ट्रेस मिलता है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उस में पीछे कदम नहीं उठाएगी और मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से भी कि अगर इस में कहीं कोई लूपहोल्स हों तो उस को पूरा किया जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति जी, मैं अपनी संक्षिप्त सी बात माननीय सदस्य श्री झारखंडे राय की उस युक्ति से प्रारंभ करता हूं। उन्होंने यह बताया कि जिस कमरे में श्री दीन दयाल उपाध्याय यात्रा कर रहे थे उस कमरे में श्री राम रतन गुप्ता के कोई व्यक्ति यात्रा करने वाले थे और वह नहीं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आए इसलिए श्री दीनदयाल उपाध्याय अपना कमरा बदल कर उनके कमरे में चले आए और चोरों ने गलती से उनकी हत्या कर दी, ऐसा श्री झारखंडे राय का कहना था। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ श्री झारखंडे राय से भी और उन जैसी युक्ति पर विश्वास करने वालों से भी कि जिन चोरों को इतनी तक जानकारी होती है कि किस डिब्बे में राम रतन गुप्ता का आदमी यात्रा कर रहा है वह चोर इस बात की भी जानकारी रखते हैं कि उस आदमी की शक्ल क्या है और जो उस के स्थान पर यात्रा कर रहा है वह व्यक्ति कौन है ? वह चोर इतने एक्सपर्ट जरूर थे कि जो एक साधु और एक धनपति को अच्छी तरह से पहचान लें कि दोनों में अंतर क्या है ? हमारे मित्र श्री रणधीर सिंह कह रहे थे कि जो बेस्ट एजेंसी हो सकती है सी०बी०आई० उसने एन्क्वायरी की, लेकिन मैं रणधीर सिंह की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि सी०बी०आई० ने एन्क्वायरी अपने हाथ में लेते ही उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग को वहां से हटा दिया। अगर यह दोनों साथ रह कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते तो हमारा अपना अनुमान है कि उससे समाधान हो सकता था। लेकिन सी०बी०आई० की इस बात पर हमें शक होता है कि गुप्तचर विभाग जो उत्तर प्रदेश का था उसको उसने क्यों हटा दिया ?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर उनका शव पड़ा पाया गया उसके नीचे लोहे के जो बड़े-बड़े पेच होते हैं उसके ऊपर उनकी कमर थी। अगर वह गिरते तो उनकी कमर पर वहां चोट होनी चाहिए थी। लेकिन वह चीज बिलकुल नहीं थी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि अभी हमारे मित्र श्री बलराज मधोक ने बताया कि वह हत्या के बाद वहां पर गए वहां जो खम्भा था जिससे टकराने की बात कही गई वह रेल की पटरी से चार साढ़े चार फुट की दूरी पर है इनके साथ पुलिस के अधिकारी भी थे, 'जिले के अधिकारी भी थे उन्होंने डिब्बे से पूरा शरीर बाहर निकाल कर देखा कि क्या इसके बाद भी इस खंभे से टकराव हो सकता है ? लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो फिर बात क्या थी ? अब निष्कर्ष पर हमें आना चाहिए। एक तो हत्या हो सकती है चोरी के उद्देश्य से और दूसरे हो सकती है व्यक्तिगत वैर से। तीसरे हो सकती है राजनैतिक विरोध से। जहां तक चोरी का सवाल है जिन लोगों ने श्री दीनदयाल उपाध्याय को देखा होगा उनको पता होगा कि उनकी वेषभूषा को देखकर और उनके शरीर को भी देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इस व्यक्ति के पास भी कुछ होगा या इस के पास से भी कुछ चुराया जा सकता है। लिहाजा चोरी का उद्देश्य तो हो नहीं सकता। व्यक्तिगत वैर की बात तो यह है कि न केवल जनसंघ में बल्कि पूरे देश में वह अजातशत्रु कहे जाते थे। यानी इस प्रकार का व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई शत्रु नहीं बनाए उसकी हत्या व्यक्तिगत वैर के कारण करने का प्रश्न भी नहीं उठता।

अब तीसरी बात रह जाती है राजनैतिक विरोध की। राजनैतिक विरोध का आधार ढूंढने के लिए हम को यह जानना पड़ेगा कि यह हत्या कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई ? यह हत्या हुई तब जब जनसंघ पहली बार उत्तर प्रदेश के शासन में एक भागीदार बन कर आया इसकी चर्चा प्रारंभ हुई क्यों कि जनसघ इससे पहले कहीं शासन में नहीं था। यह मेरी अपनी कल्पना नहीं है बल्कि इस तीसरे कारण के लिए एक यह प्रमुख आधार है। मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता कि श्री दीन दयाल उपाध्याय के क्या विचार थे ? और वह क्या चाहते थे कि हम इस संगठन के अंदर जो लोग

विभिन्न विचारों के हैं खास तौर से ऐसे विचार जिनका, जनसंघ के साथ में बिलकुल पूरब और पश्चिम का संबंध है, उनके साथ रह कर भी क्या सरकार को चलाया जा सकता है या नहीं। धीरे-धीरे उनके विचार उत्तर प्रदेश के शासन के संबंध में बदलने लगे थे। झारखंडे राय जी को इन सब का स्मरण होगा। लेकिन मैं इनको विस्तार से नहीं कहना चाहता। अब तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी संदेह ऐसा पैदा हो और एक राजनैतिक पार्टी के सबसे बड़े नेता के संबंध में संदेह पैदा हो तो सरकार को यह चाहिए कि भले ही उस का कुछ अधिक व्यय हो लेकिन उन संदेहों के निराकरण के लिए कोई अपनी ओर से कसर उठाकर न रखे। अगर इस प्रकार की मांग आई है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रखी है, मैं अपनी ओर से उसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार तीन व्यक्तियों का उच्चाधिकार प्राप्त आयोग बनाया जाय जो फिर से इन सारे तथ्यों की जानकारी ले और संदेहों का निराकरण हो।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : Mr. Chairman, we are discussing the Commission's report which relates to an event which every Member of this House will deeply regret, namely, the dastardly and brutal murder of Shri Deen Dayal Upadhyaya. On that all the Members who spoke are naturally agreed.

Apart from politics, he was a very gentle person. He was widely respected and was a man of learning. Besides this, he was a leading political figure and he was the President of the Jana Sangh, I think, when he died. That was, as Vajpayeeji has mentioned, between the 10th and 11th February, 1968 while travelling in a train.

He also referred to the fact that his body was found in the Moghulsarai railway yard. Shastriji just now referred to the fact that at first the case was being investigated by the UP CID and later by the CBI. I may add here that it was at the request of the State Government that the CBI was sent there.

I may also add that the CBI is the best investigating agency in the country. This House very often, when problems in which the help of an investigating agency is deemed to be necessary arise, asks us to utilise the CBI. In a very recent incident in Shillong we sent the CBI from here.

In fact, we had at first urged the Assam Government to utilise the C.I D. or the State police in the matter because the CBI's resources were rather stretched. But the Assam Government told us that it would create a better atmosphere in Assam itself and in the Assembly if the C.B I. could be sent to carry on the investigations. Therefore, there could be no question about the intention of Government. It did everything possible to see that the investigation was carried out by the best agency available to it.

Later on the C B.I. prosecuted two persons and, again as Vajpayeeji said, one of them was acquitted and the other was convicted on a charge of theft for five years, I think.

Some witnesses, who are members of the Jana Sangh, while appearing in the trial court had contended that Shri Upadhyaya had been murdered for political reasons and that the C.B I. had concocted the evidence to make scapegoats of the two accused persons. I am saying this so that the House may appreciate that all this had been placed before the court and before the Commission of Inquiry also. Both these statements were made. These allegations or arguments were advanced and the Judge observed in his judgment that the prosecution was unable to prove its case mainly because of paucity of evidence, and that there was no concrete data before him to say that the murder was committed for a political motive. This was as far as the judgment of the Sessions' court went.

Thereafter, the demands were raised, and I think Shri Vajpayee himself spoke on the occasion and some other parties also joined in that demand, that there should be a commission of inquiry to probe into the case *ab initio*. A memorandum signed by several Members of Parliament, about 72 M. Ps

[Shri K. C. Pant]

was also received in this connection. Then the question arose that an appeal should be filed in the High Court. The Chief Minister of Uttar Pradesh announced in the State Assembly on August 4, 1969 that on appeal could be filed. The next day, the Home Minister here made a statement in the Lok Sabha announcing the decision to appoint a commission of inquiry. The Commission was appointed on October 23, 1969 to inquire into all the facts and circumstances relating to the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya.

Shri Vajpayee referred to various points of facts which he thinks point to certain conclusions. Before the Commission also the Jana Sangh reiterated its stand that Shri Upadhyaya was murdered for political reasons. As was said by some hon. Members, it was suggested that communists and communalists had joined hands in organising the crime. It was pointed out that there were deficiencies in the case put forward by the C.B.I. to which, I think, Shri Vajpayee referred, at least to some of them – I do not know whether he referred to all of them ; I cannot say. But even before the Commission it was said that an attempt was made to make out that the two accused persons in the case had only been made scape-goats. This is more or less the sum and substance of what Shri Vajpayee said here.

They went on to assert that the investigation carried on by the C. B. I. was *mala fide* and was intended deliberately to suppress the political origin of the crime. I am repeating all this so that the House may understand that what is being said here today was also said before the Commission. All the facts were placed before it ; all the arguments were placed before it ; all the evidence was placed before it. The Commission went into all these things and thereafter published the Report. It is not as though any new facts have come up before the House which were not placed before the Commission. As far as I am aware, all these facts were placed before the Commission and the Commission did consider them before coming to its conclusions.

What are the conclusions of the Commission ? The Commission has come to a conclusion that the murder of Shri Deen Dayal Upadhaya was not committed for political motives. That is one clear conclusion of the Commission. The second is that neither any communist nor any communalist connected directly or indirectly with the murder. Thy third is that he had been pushed out of the running train as a result of which he dashed against a traction pole and died instantaneously. The fourth and last conclusion is that the murder was accompanied by immediate theft.

These are the conclusions of the Commission. As regards the C.B.I., the role of the C.B.I., the Commission has also come to certain conclusions and its conclusion is that the C.B.I. conducted investigation with care and objectivity. The Commission has found no substance in the charge that the C.B.I. acted *ma a fide*. These are the findings of the Commission. Now, there appears to be an impression in the minds of some hon. Members that the Commission should have investigated the crime or should have duplicated the work that has been done by the Sessions court. That is not so and I would invite the attention of the House to the second chapter of the report of the Commission on the scope of the reference made to the Commission. The Commission was primarily concerned with the question regarding the motive for the murder of Shri Deen Dayal Upadhyaya. As the Commission states, the question of motive is the central theme of the task before the Commission. What emerges from the report of the Commission is that the murder of Shri Deen Dayal Upadhyaya was not committed for political motives and it also says, as I said earlier, that the murder was accompanied by immediate theft which shows that the two are part and parcel of the same transaction. I am trying as far as possible to adhere to the wording of the Commission's finding itself. It was not the function of the Commission to determine like a court of criminal trial as to who was guilty of the murder. The sessions trial went into that question and came to the conclusion that the prosecution had not established beyod reasonable doubt – a point that was made by Mr. Randhir Singh with his knowledge of law— that the two persons accused had committed the offence of murder... (*Interruptions*) The Court, however, convicted one of them on the charge of theft.

Now, I am in a somewhat difficult position because the appeal against the conviction

of Shri Bharat Lal is still *sub judice*, that is the person who was convicted for theft and sentenced for 4 years. It would not be proper for Government to go further into the merits of Bharat Lal's conviction for theft or the rejection by the trial court of the offence regarding murder. The report of the Commission should be taken as a final answer. The Commission have ruled out political motives after giving the fullest opportunity to the advocates of that theory. If we were to go into the whole question, there would have hardly been any point in appointing a Commission of Inquiry.

Sir, I have already said that certain remarks have been made about the C.B.I. by the Commission and they have come to the conclusion that it has not acted *mala fide* and I would refer in this connection to pages 130 and 131 of the Report of the Commission and the learned Judge there adds that he saw nothing from which he could infer that the C.B.I. gave amnesty to Communists and communalists and found an easy way out by catching two common thieves.

My hon. friend, Shri Vajpayee, raised the point that the Commission should have had an independent investigating agency of its own. Sir, the Government have been anxious that such Commissions should have the service of investigating agencies on whom they can call. But, as things stand at present, under the law they cannot have this and it is for this reason that we have introduced a Bill for amending the Commission of Inquiries Act and that Bill is before Parliament.

Shri Vajpayee has argued on the basis of some selected passages of the report of the Commission that the findings of the Commission are not satisfactory. Sir, I do not know whether this House can go into the facts and evidence and the findings of the Commission. After all the Commission was appointed to go into the evidence and the facts and let us have its conclusions. I don't think we are equipped to perform that task. And the Commission, as I said earlier, did examine the witnesses, it scrutinised the documents and it heard arguments of Counsels and then it came to certain conclusions appreciating the evidence that had come before the Commission. It was because Government was anxious that the evidence should be weighed properly that they have obtained the services of a serving judge. Shri Vajpayee is certainly entitled to have his own appreciation of that evidence ; but Government see no reason—and no reasons have been advanced either—why on merely a different reading of the evidence, selectively presented, the findings of an impartial Commission should be rejected. If we go about rejecting the findings of a serving judge of a High Court, there can be no end to any controversy. The Commission,—the House may recall,— was appointed in consultation with the Chief Justice of India.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Why don't you apply the same rule to the Mahajan Commission's Report ?

SHRI K. C. PANT : Government accept the report of the Chandrachud Commission Government accept the findings and feel that there is no need for another Commission.

We fully share the sorrow and the deep grief over the most tragic death, the despicable murder of Shri Deen Dayal Upadhyaya.

SHRI P. K. DEO : Who are the murderers ?

SHRI K. C. PANT : As I have said earlier, I share Shri Vajpayee's concern and grief. It is not just a formality ; this sense of grief and sorrow comes out of my heart ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Who are the murderers ?

19.32 hrs.

DISCUSSION RE. SUGAR POSITION AND CANE PRICE—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further discussion on the sugar position obtaining in the country including cane price.

It is already past 7-30 P.M. Now, the position is this. The time at our disposal is only 30 minutes. 1½ hours were allotted ; one hour has already been taken. If I go by the names at my Table, I think, we will have to sit till midnight and even then the discussion will not be over. That is the present position. So, my proposal is this. If the